राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 01/2025

प्रार्थी–

1. श्री चन्दनसिंह पुत्र सुजान सिंह जाति राजपूत निवासी देवन्दी, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. श्री डूंगरसिंह पुत्र श्री धुकसिंह
2. श्री रूपसिंह पुत्र धुकसिंह
3. श्री जालम सिंह पुत्र धुकसिंह
4. श्री स्व. भंवर सिंह के कायम मुकाम
   - 4.1 श्री पृथ्वीसिंह पुत्र भंवरसिंह
   - 4.2 श्री विक्रम सिंह पुत्र भंवरसिंह
   - 4.3 श्री मनोहर सिंह पुत्र भंवरसिंह
   - 4.4 श्री भंवर कंवर पत्नी भंवरसिंह
5. श्री शिव सिंह पुत्र धन सिंह के कायम मुकाम
   - 5.1 श्री शिवनाथ सिंह पुत्र शिवसिंह
6. श्री स्व खीमसिंह पुत्र धनसिंह के कामय मुकाम
   - 6.1 श्री जोगसिंह पुत्र खीमसिंह
   - 6.2 श्री हरि सिंह पुत्र खीम सिंह
   - 6.3 श्री अरविन्द सिंह पुत्र खीमसिंह
   - 6.4 श्री खुशाल सिंह खीमसिंह
7. श्री भोपाल सिंह पुत्र धन सिंह के कायम मुकाम
   - 7.1 श्री रिछपाल सिंह पुत्र भोपाल सिंह
   - 7.2 श्री महिपाल सिंह पुत्र भोपाल सिंह जातियान राजपूत, निवासीयान देवन्दी, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा।
8. सरपंच जरिये ग्राम पंचायत देवन्दी, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा।

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 01 दिनांक 15.02.1999 जो अप्रार्थीगण के पूर्वज के नाम ग्राम पंचायत देवन्दी द्वारा जारी किया गया।

जिला कलक्टर
बालोतरा

उपस्थिति :–

1. श्री सांवलराम मेघवाल, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री दिनेश कुमावत, अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3, 4/1, 4/2, 4/4, 5/1, 6/2, 6/4, 7/1 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थीगण संख्या 4/3, 6/1, 6/3, 7/2 बावजुद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 24.09.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत देवन्दी द्वारा जारी पट्टा संख्या 01 दिनांक 15.02.1999 के विरूद्ध दिनांक 27.01.2025 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 8 ग्राम पंचायत देवन्दी द्वारा अप्रार्थीगण के पूर्वज के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1994 के नियम 167(1) के तहत ग्राम देवन्दी में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 01 दिनांक 15.02.1999 को जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची मे वर्णित अनुसार 205.83 वर्गगज दर्शाया गया है। जिनके नाप पड़ौस बदिशा उतर में रास्ता व 25 फीट, दक्षिण में प्रार्थीयों की स्वयं की पोल व 32 फीट, पूर्व में गुजरगली व 60 फीट, पश्चिम में बलवन्तसिंह/किशोरसिंह जी का मकान व 70 फीट अवस्थित है। उक्त पट्टे को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1994 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू की जांच करते हुए अपास्त करने हेतु प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. प्रार्थी की निगरानी दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत देवन्दी से निगरानीधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस में कथन किया कि प्रार्थी एक सामान्य परिवार से सरल स्वभाव का व्यक्ति है। प्रार्थी का कब्जा सुदा परिसर (भूखण्ड) ग्राम देवन्दी की आबादी भूमि के वार्ड संख्या 02 बमौहल्ला भायलो की वास में अवस्थित है। उक्त आलोच्य भूखण्ड प्रार्थी का पैतृक है। जिसमें प्रार्थी चन्दनसिंह ने अपनी जायज जरूरते हेतु कब्जा सुदा परिसर (भूखण्ड) के चारों तरफ छीणे रोपकर तारबन्दी की हुई है। अप्रार्थी संख्या 08 द्वारा जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1994 के नियम 167 (1) के प्रावधानों व नियमो की पूर्ण पालना किये बिना नियमों की अनदेखी करते हुए जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 8 ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी के पूर्वज के नाम नियम 167(1) के तहत जारी किया गया है, जबकि उक्त आलोच्य पट्टा संबंधित पत्रावली में प्रार्थी का आवेदन, आदेशिका व बैठक कार्यवाही रजिस्टर में अप्रार्थी का 50 वर्षों का पुराना कब्जा मानते हुए पंचायतीराज के नियम 157(ख) के तहत जारी किया गया, होना बताया गया है। प्रार्थी ने उक्त कूटरचित पटटे की जानकारी प्राप्त होने पर सर्वप्रथम ग्राम पंचायत के कार्यालय

जिला कलक्टर
बालोतरा

देवन्दी मे शिकायत की, तो ग्राम पंचायत देवन्दी द्वारा बताया गया कि आप प्रार्थी के बावजूद परिसर (भूखण्ड) का अप्रार्थी संख्या 01 ता 07 ने आपके परिसर (भूखण्ड) का कूटरचित पट्टा अपने नाम का तत्कालीन सरपंच व ग्राम सेवक से मिलकर बगैर कब्जे के उक्त परिसर (भूखण्ड) का आलीचित पट्टा प्राप्त किया है। अप्रार्थीगण द्वारा अब आलोच्य पट्टे की आड़ में जो कई वर्षों पूर्व जारी करवाने के बाद में चुपचाप बैठे रहे है। अब प्रार्थी के वृद्ध होने का फायदा उठाकर प्रार्थी के कब्जासुदा भूखण्ड की तारबन्दी व छीणे हटा कर कब्जा करने का प्रयास कर अपना अवैध कब्जा स्थापित करने का प्रयास किया तथा करने में आमादा है। प्रार्थी के कब्जा सुदा परिसर (भूखण्ड) का पट्टा अप्रार्थी संख्या 08 द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 ता 07 के पक्ष में आलौचित पट्टा संख्या 01 दिनांक 15.02.1999 को जारी किया गया है, जबकि अप्रार्थी संख्या 01 ता 07 उक्त ग्राम की आबादी भूमि में अन्य स्थान पर पहले से काबिज है। अप्रार्थी संख्या 01 ता 07 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष आलौचित पट्टा स्थल के सम्बंध में वास्तविक तथ्य छुपाकर प्रार्थी के स्वामित्व एवं पुराने कब्जे को छुपाकर गलत रूप से स्वयं का पुराना कब्जा न होने के पश्चात् भी कुटरचना कर पट्टा जारी करवा दिया एवं अप्रार्थी संख्या 01 ता 07 का रहवास उक्त स्थल से कुछ दूरी पर स्थित है तथा उक्त स्थान पर अप्रार्थी सख्या 01 ता 07 का कभी भी उक्त परिसर (भूखण्ड) पर कब्जा नहीं रहा है। केवल अवैध कब्जा करने की नियत से अपने बगैर कब्जा होते हुए तत्कालीन ग्राम पंचायत सरपंच व ग्राम सेवक से मिलकर राजस्थान पंचायती राज नियम 1994 के नियम 167(1) के तहत अपने नाम से पट्टा जारी करवाया है। कोई व्यक्ति पंचायत से भूखण्ड को विनियमितिकरण करना चाहता है तो उसे अपने आवेदन पत्र के साथ भूमि पर पुराना कब्जा होने बाबत दस्तावेज पेश करने होते है, किन्तु आलौचित पट्टा जारी करने में नियमों की अनदेखी करते हुए बिना दस्तोवेज एवं मौका जांच के यह आलोच्य पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत देवन्दी द्वारा आलौचित पट्टा के सम्बंध में उपलब्ध करवाये गये रेकर्ड अनुसार जिस भुखण्ड का आलौचित पट्टा जारी किया है, जिसका आवेदन पत्र एक व्यक्ति के नाम से पेश किया है, जबकि आलौचित पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा 7 व्यक्तियों के नाम से जारी किया गया है। आलौचित पट्टा के सम्बंध में प्राप्त मिसल पत्रावली में उक्त भूखण्ड के सम्बंध में भूमि निरीक्षण की कमेटी तीन सदस्यों की बनाई है, लेकिन भूमि निरीक्षण के प्रपत्र में केवल दो सदस्यों के ही हस्ताक्षर है। दिनांक 05.12.2024 को अप्रार्थीगण 01 ता 03 व 04 ता 07 के परिवारजन प्रार्थी के कब्जा सुदा परिसर (भूखण्ड) में आये तथा प्रार्थी द्वारा अपने कब्जा परिसर (भूखण्ड) के चारो तरफ की गई तारबन्दी को हटाने व उसमें कब्जा करने का प्रयास करने लगे, तब प्रार्थी ने इसका विरोध किया तथा उन्हें ऐसा करने बाबत रोका। तो उस वक्त सभी अनिगरानीकार चुपचाप वापस चले गये। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को पुश्तैनी कब्जा सुद परिसर (भूखण्ड) पर कब्जा करने के प्रयास करने के तथ्य की जानकारी प्राप्त की, तो प्रार्थी को पता चला कि कुछ वर्षों पूर्व अप्रार्थीगण सख्या 01 ता 07 के द्वारा प्रार्थी के उक्त पुश्तैनी कब्जा सुद परिसर (भूखण्ड) को अपना बताकर ग्राम पंचायत देवन्दी से कूटरचित पट्टा प्राप्त कर दिया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत देवन्दी की आबादी भूमि में प्रार्थी के कब्जे के परिसर (भूखण्ड) के सम्बध में अप्रार्थी संख्या 01 ता 07 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत के नियम 167 (1) के तहत संकल्प संख्या 02/15.02.1999 की अनुपालना में पट्टा संख्या 01 दिनांक 12.02.1999 को जारी किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा

द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार करते हुए अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा जारी आलोच्य पट्टा संख्या 01 दिनांक 15.02.1999 को निरस्त करने का आदेश फरमावे।

5. अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 के अधिवक्ता दौराने बहस यह कथन किया कि अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आलोच्य भूखण्ड पैतृक होना बताया गया, लेकिन पैतृक के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया तथा अधिवक्ता प्रार्थी ने पत्रावली में प्रस्तुत किए गए फोटोग्राफ अप्रार्थीगण के भूखण्ड का है। उक्त आलोच्य भूखण्ड पर अप्रार्थीगण की पुरानी पोल थी, जो धीरे धीरे पुरानी होने से गिर गई है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी में अंकित किए गए पड़ोस में दक्षिण में रास्ता बताया गया, जबकि दक्षिण में मेरा मकान है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी लगभग 26 साल बाद पेश की गई है, जो म्याद बाहर है। अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आलोच्य भूखण्ड का विलेख प्राप्त करने हेतु आवेदन एक ही व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत करने का कथन किया, लेकिन पंचायतीराज के नियमानुसार एक से अधिक व्यक्तियों के एक साथ पट्टा जारी किया जा सकता है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 8 द्वारा अप्रार्थीगण के पूर्वज के नाम आलोच्य पटटा जारी करने में पंचायतीराज अधिनियम 1994 के सभी नियमों की पालना की गयी है व पटटा वैधानिक तौर पर जारी किया गया है। अतः अप्रार्थीगण के पूर्वज के नाम पटटा संख्या 01 दिनांक 15.02.1999 को सही व न्यायोचित जारी किया गया है तथा सभी नियमों की पालना करते हुए जारी होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन व आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से तथा म्याद बाहर होने से खारीज करने का आदेश फरमावे।

6. हमने पत्रावली में प्रार्थीगण के अधिवकतागण की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम पंचायत देवन्दी द्वारा मिसल संख्या 01/97–98 पर पंचायत की बैठक में फैसल दिनांक 15.02.1999 के अनुसरण में आलौच्य पट्टा सं. 01 दिनांक 15.02.1999 को अप्रार्थीगण शिवसिंह, खीमसिंह, भोपालसिंह पिता धनसिंह व भंवरसिंह, जालमसिंह, रूपसिंह, डूंगरसिंह पिता धुकसिंह के नाम से संयुक्त रूप से जारी किया गया है। प्रार्थी मुख्य आपति हैं कि अप्रार्थी संख्या 8 ग्राम पंचायत द्वारा पंचायतीराज नियम की अवहेलना करते हुए अप्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 8 से मिलीभगत कर अप्रार्थीगण के पूर्वज के पक्ष में आलोच्य पट्टा संख्या 01 नियम 167(1) के तहत जारी किया गया है। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत देवन्दी की ओर से जारी आलौच्य पट्टा के विरूद्ध यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। इस संबंध में अधीनस्थ ग्राम पंचायत देवन्दी से उक्त पट्टे संबंधित मूल अभिलेख तलब किया गया, जिसमें अप्रार्थी भोपालसिंह द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर सरपंच के हस्ताक्षर नहीं पाया गया। पंचायतीराज के नियमानुसार आबादी भूमि के निरीक्षण के दौरान तीन वार्ड पंचों की कमेटी का गठन कर मौका का निरीक्षण किया जाता है, लेकिन अधीनस्थ ग्राम पंचायत देवन्दी से तलब की गई मूल पत्रावली में आबादी भूमि के निरीक्षण का प्रपत्र में केवल दो ही वार्डपंच के हस्ताक्षर होना बताया गया। जिससे अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य पट्टा जारी करते समय पंचायतीराज अधिनियम के नियम 147 की पालना नहीं करना प्रतीत होता है। पंचायती राज नियम 148 के तहत प्रकाशन की तारीख से एक मास के भीतर आक्षेप आमत्रित कर व हस्ताक्षर कर चस्पा करनी होती है, जबकि अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली में संलग्न प्रारूप 22 (नियम 148) में उक्त आलोच्य भूखण्ड का नाप अंकित होना नहीं पाया गया तथा आक्षेप आमन्त्रित करने का नोटिस कहाँ पर चस्पा किया व हस्ताक्षर नहीं होना पाया

जिला कलक्टर
बालोतरा

गया, इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पंचायती राज नियम 148 उप नियम 1 ***'निर्दिष्ट नोटिस दो प्रतियों में तैयार किया जायेगा और उसकी एक प्रति विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि पर किसी सहजदृश्य स्थान पर लगायी जायेगी, दूसरी प्रति परिक्षेत्रा के कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के, उसे ऐसे लगाये जाने के प्रमाणस्वरूप हस्ताक्षर अभिप्राप्त करने के पश्चात पंचायत कार्यालय को लौटा दी जायेगी'*** की पालना नहीं करना प्रतीत होता है। इसके अलावा में अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा फैसला दिनांक 15.02.1999 को ग्राम पंचायत की आदेशिका एवं बैठक कार्यवाही रजिस्टर में अप्रार्थीगण का पुश्तैनी कब्जा 50 वर्ष का मानते हुए पंचायतीराज अधिनियम के नियम 157(ख) के तहत आलोच्य पट्टा अप्रार्थीगण के पक्ष में जारी होना बताया गया है, जबकि पत्रावली के संलग्न आलोच्य पट्टा का प्रारूप 23 नियम 167 (1) के तहत अप्रार्थीगण के पक्ष में जारी होना बताया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी के पक्ष में आलोच्य पट्टा जारी करने में अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा पंचायतीराज अधिनियम 157(2) की पालना नहीं की गई है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण का कथन है कि उक्त आलोच्य भूखण्ड अप्रार्थीगण का पैतृक एवं पुश्तैनी है, लेकिन इस संबंध में अप्रार्थीगण ने अपने स्वामित्व आधिपत्य का कोई ठोस साक्ष्य अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली में पेश नहीं किये गये है, जिससे यह साबित नहीं हो सकता कि उक्त आलोच्य भूखण्ड अप्रार्थीगण का ही है। साथ ही अधीनस्थ ग्राम पंचायत की मूल पत्रावली के साथ बयान फार्म भी नहीं पाया गया। उक्त आलोच्य पट्टा जारी करने से सम्बन्धित आवेदन–पत्र, आपत्ति नोटिस, नियमानुसार शुल्क जमा करने की रसीद, मौका निरीक्षण रिपोर्ट इत्यादि पूरी प्रक्रिया अपनाये जाने का हस्तगत प्रकरण में कोई नियमों का एवं पैतृक स्वामित्व की पुष्ठि हेतु साक्ष्य नहीं होने से संदिग्ध होना जाहिर होता है। जिससे अप्रार्थी संख्या 8 द्वारा आलोच्य पट्टा जारी किया गया है, जिसमें पंचायतीराज नियमों के तहत विधिसम्मत एवं स्पष्टता प्रमाणित नहीं होती है। इस प्रकार अधिनस्थ ग्राम पंचायत अप्रार्थी संख्या 8 ने राजस्थान पंचायतीराज नियमों में प्रावधित प्रावधानों के विपरित जाकर तथा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आलोच्य पटटा जारी किया है, निरस्त योग्य पाया जाता है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर अप्रार्थी संख्या 8 सरपंच ग्राम पंचायत देवन्दी द्वारा अप्रार्थीगण नाम से जारी आलोच्य पटटा को राजस्थान पंचायतीराज नियम के प्रावधित विधिक प्रावधानों के विपरित होने से एवं विधिसम्मत नहीं होने से पट्टा निरस्त किया जाता है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत का विलेख निर्णय की प्रति के साथ अविलम्ब प्रेषित हो।

8. निर्णय आज दिनांक 24.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा